भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 794

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

पीयूसी केंद्रों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

794. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अधिकांश प्रदूषण नियंत्रण केंद्र (पीयूसी) वाहनों की उचित जांच किए बिना ही पीयूसी प्रमाण-पत्र जारी कर रहे हैं, जिससे तकनीकी रूप से अनुपयुक्त और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को भी पीयूसी प्रमाण-पत्र जारी हो रहे हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीयूसी केंद्रों द्वारा प्रदूषण जांच में विफल घोषित किए गए वाहनों का वर्ष-वार कुल प्रतिशत कितना है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान मानदंडों का उल्लंघन करने या बिना जांच किए पीयूसी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले केंद्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या भविष्य में सभी पीयूसी केंद्रों पर जांच प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी और तीसरे पक्ष के ऑडिट को अनिवार्य करने की कोई योजना है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के इस महत्वपूर्ण पहलू को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (घ) प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) केंद्रों का संचालन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है, सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नियम बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा पीयूसी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एआईएस 137 (भाग 8) में संशोधन किया गया है, जिसमें पीयूसी केंद्र से एनआईसी केंद्रीय सर्वर को प्रेषित प्रदूषण डेटा पर छेड़छाड़-रोधी क्रिप्टोग्राफिक हस्ताक्षर सक्षम करने का प्रस्ताव है।

(ख) एनआईसी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पीयूसी केंद्रों द्वारा प्रदूषण परीक्षण में असफल घोषित किए गए वाहनों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी पीयूसीसी**	**असफल पीयूसीसी**	**प्रतिशतता**
2026 (12 जुलाई, 2026 तक)	46788720	465342	0.99
2025	86645718	1302666	1.50
2024	77814494	2100849	2.70
2023	72529879	550937	0.76
2022	64804632	488240	0.75
2021	54174503	297993	0.55

(ग) एनआईसी से प्राप्त इनपुट के आधार पर, त्रुटिपूर्ण पीयूसी केंद्रों की पहचान की जाती है और उसके बाद, राज्य सरकारों को समय-समय पर इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।
